Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

फा.सं.सी-42/16/2014-एमपीलैड्स

Dated 16.03.2016

सेवा में,

(1) आयुक्त
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम

(2) सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः एमपीलैड्स के अंतर्गत ऊर्जा-दक्ष परिसंपत्तियां ।

महोदय/महोदया,

एमपीलैड्स आवश्यक रूप से विकासात्मक कार्यों और टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए है । चल और गैर-टिकाऊ परिसंपत्तियां अनुमत्य नहीं है; व्यक्तिगत लाभों और वाणिज्यिक गतिविधियों (कुछ अपवादों को छोड़कर) की अनुमति भी नहीं है ।

2. एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों में यह अंतर्निहित है कि **ऊर्जा-दक्ष टिकाऊ परिसंपत्तियों और चल तथा गैर-टिकाऊ परिसंपत्तियों** (जहां कहीं विशिष्ट तौर पर अनुमति हो) **की अनुमति है ।**

3. मंत्रालय में यह स्पष्टीकरण मांगने संबंधी संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि क्या एमपीलैड्स निधियों का प्रयोग ऊर्जा-दक्ष शवदाह-गृह, धुआं रहित चूल्हा और सामुदायिक बायो-गैस संयंत्रों के लिए किया जा सकता है ।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि 'सामुदायिक गोबर-गैस संयंत्रों', 'कब्रिस्तान/श्मशान स्थलों पर संरचनाओं और शवदाह-गृहों', तथा 'सामुदायिक प्रयोग के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों को अन्य बातों के साथ-साथ दिशानिर्देशों के अनुबंध-IV (ड.) के खंड VI और VII में शामिल किया गया है जिसमें दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अध्यधीन एमपीलैड्स के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कार्यों की क्षेत्र-वार सूची दी गई है ।

5. व्यक्तिगत प्रयोग के लिए काम में आने वाले 'धुआं रहित चूल्हा' की सिफारिश माननीय संसद सदस्यों द्वारा एमपीलैड्स के अंतर्गत नहीं की जा सकती है ।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

तपन मित्र

(तपन मित्र)

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रति:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड से संबंधित सभी नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।